राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेते समय अभिभावक / विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण हेतु

व्यापक जनहित में निदेशालय, कॉलेज शिक्षा आपको आगाह करता है कि प्रवेश लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि :–

1. निजी शैक्षणिक संस्था द्वारा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर ली गई हो। स्थायी/अस्थायी मान्यता की सही जानकारी निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, जयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
2. निजी संस्था द्वारा संचालित संकाय एवं विषय संबंधित विश्वविद्यालय से (विधि महाविद्यालय होने पर बार कौंसिल ऑफ इन्डिया से भी) सम्बद्धता प्राप्त हो।
3. निजी शिक्षण संस्था में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डानुसार योग्य शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त हो तथा संस्था में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों।
4. यदि संस्थान डिस्टेंस एज्यूकेशन के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है तो ऐसी संस्था व पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली गई हो ।
5. महाविद्यालयों द्वारा दिये गये भ्रामक विज्ञापनों में तथ्यों की सत्यता अवश्य जांचे।

निदेशालय की वेबसाईट पर भी जानकारी उपलब्ध रहती है:–

dce.rajasthan.gov.in तथा collegeeducation.rajasthan.gov.in

श्री वीरेन्द्र टेक्नी, आयुक्तालय को प्रेषित कर वेबसाइट पर अपलोड करावें

संयुक्त–निदेशक (अनु

आयुक्तालय कालेज शिक्षा।

राजस्थान, जयपुर